

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-भरतपुर/एफ.00694/2023/731 दिनांक : 01/11/23

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री अशोक कुमार सैनी, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौली सवाई माधोपुर, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03.06.2021 है तथा दिनांक 02.06.2023 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 03.06.2023 से रूपये 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-भरतपुर/एफ.00694/2023/731 दिनांक : 01/11/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौली, सवाई माधोपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री अशोक कुमार सैनी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
4939839

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :31-10-2023 05:02:50